यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

बनाम

सेरजेराव व अन्य

14 नवम्बर, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत एवं पी. सदाशिवम्, जेजे.]

मोटर यान अधिनियम, 1988- धारा 140 and 173- मोटर दुर्घटना - ट्रेक्टर से जुड़ी ट्रोली में यात्रा कर रहे लोगों को वाहन दुर्घटना में चोटें आ गई। उन्होंने मुआवजे के लिए दावा किया। न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनी की उस याचिका को खारिज करते हुए निर्णय पारित कर दिया जिसमें बीमा कंपनी ने कहा कि यह ट्रेक्टर के मालिक का दायित्व था और वह ऐसी दशा में मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं थी। जब बीमा कंपनी की अपील अंतर्गत धारा 173 उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी तो निष्पादन की प्रक्रिया शुरू की गई। इसलिए कंपनी ने याचिका प्रस्तुत की परन्तु इसे निरस्त कर दिया गया। अतः अपील है।

ट्रैक्टर से जुड़ी ट्रॉली में यात्रा कर रहे लोगों को परेशानी हुई। मोटर दुर्घटना में चोटें. उन्होंने मुआवजे का दावा किया. ट्रिब्यूनल ई-बीमा कंपनी की दलील को खारिज करते हुए फैसला सुनाया। यह ऐसे मामले में मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं था, क्योंकि यह था। ट्रैक्टर के मालिक का दायित्व. जबकि बीमा की अपील कंपनी की निष्पादन कार्यवाही उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी। आरंभ किये गये. इसलिए कंपनी ने रिट याचिका दायर की, लेकिन एफ वही बर्खास्त कर दिया गया. इसलिए वर्तमान अपील करता है.

अपीलों का निस्तारण करते हुए व उन्हें उच्च न्यायालय को प्रेषित करते हुए, न्यायालय ने कहा कि:

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के सन्दर्भ में अपील की विचारणीयता के संबंध में व ट्रोली में यात्रा कर रहे मजदूरों को मुआवजा देने के सन्दर्भ में, चूँकि इस न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जा चुका है, अपील को उन अधिनिर्णयों के आलोक में विचारण हेतु उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाता है। [पैरा 6 व 8] 1152-सी, डी; 1153-ई, एफ]

श्रीमती येलव्वा और अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य, (2007) 8 स्केल 77 और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बृज मोहन और अन्य, (2007) 7 स्केल 753, पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय प्राधिकरण: सिविल अपील सं. 5201/2007।

बॉम्बे उच्च न्यायालय, औरंगाबाद बेंच, औरंगाबाद के रिट याचिका सं. 4187/2003 में पारित अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 20.4.2004 में।

साथ

2007 की सी.ए. संख्या 5202-5205, 5207 व 5208।

अपीलार्थी की ओर से सुधीर कुमार गुप्ता

न्यायालय आदेश न्यायाधीश डॉ. अरिजीत पसायत द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. उक्त अपीलों में यह चुनौती है कि इनमें माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय, औरंगाबाद बेंच, औरंगाबाद के माननीय एकल जज द्वारा पारित निर्णय में अपीलार्थी (जिसे इसमें बीमा कंपनी से संबोधित किया गया है) द्वारा प्रस्तुत की गई रिट याचिकाओं को निरस्त कर दिया गया। इनमें विरोधाभास भी बहुत ही मामूली सा है।

3. प्रतिवादीगण ट्रेक्टर से जुड़ी ट्रोली में मजदूर के तौर पर यात्रा कर रहे थे। उन्होंने चोटें आने का दावा किया क्योंकि प्रत्येक प्रकरण में ट्रेक्टर ट्रोली सहित दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अधिनियम की धारा 140 के आवेदन के साथ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षिप्त में 'अधिनियम') के तहत दावे के लिए याचिकाएं प्रस्तुत की गई। माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश व पदेन सदस्य, वाहन दुर्घटना दावा प्राधिकरण, लातूर (संक्षिप्त में 'एमएसीटी') के द्वारा दोष दायित्व लागू नहीं होने के सिद्धांत के आधार पर आदेश पारित किया गया था। इसमें बीमा कंपनी का कहना था कि वह ट्रोली में यात्रा कर रहे लोगों के लिए वह उत्तरदायी नहीं तथा ट्रोली का मालिक ही मुआवजा अदा करने के लिए जिम्मेदार है। उक्त दलील एमएसीटी द्वारा खारिज कर दी गई। प्रत्येक प्रकरण में अधिनियम की धारा 173 के अनुसार अपील को उच्च न्यायालय के समक्ष प्राथमिकता दी गई। माननीय एकल पीठ की प्रथम दृष्टया राय थी कि अपील विचारणीय नहीं थी।

हालांकि, उन्होंने प्रकरण को डिवीज़न बेंच को भेज दिया जो कि पूर्ण पीठ को भेजा जाना प्रतीत होता है। जब प्रकरण में पूर्ण पीठ द्वारा विचारण लंबित था, निष्पादन कार्यवाही दायर की गई। इसलिए रिट याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई। उच्च न्यायालय ने प्रत्येक प्रकरण में विवादित आदेश द्वारा रिट याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि, यद्यपि विवादित प्रश्न सम्मिलित थे, रिट याचिकाएं विचारणीय नहीं थी।

4. अपील के समर्थन में अपीलार्थी बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा किया कि अधिनियम की धारा 173 के तहत विचारणीय थी तथा किसी भी स्थित में ट्रेक्टर से जुडी ट्रोली में यात्रा कर रहे लोगों के प्रति बीमा कंपनी का कोई दायित्व नहीं है।

5. प्रकरण में सुनवाई के दौरान प्रतिवादीगण की और से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

6. इस प्रकार जहां तक विचारणीयता की अवधारणा का प्रश्न है, विवाद को इस न्यायालय द्वारा 'श्रीमती येलव्वा और अन्य। वी. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य, (2007) 8 स्केल 77' प्रकरण में दिए गए निर्णय से निर्णीत किया गया।

7. निर्णय के पैरा संख्या 16 से 19 में, यह देखा गया जो निम्न प्रकार है:

> "16. जिस प्रश्न पर विचारण किया जाना आवश्यक है, वह यह है कि जब ऐसा विवाद उत्पन्न किया जाता है तो 'परितोष' का अर्थ क्या होगा। हालांकि दी गई परिस्थिति में वाहन स्वामी के दायित्व के संबंध में दावा प्राधिकरण को इस सवाल में जाने की आवश्यकता नहीं है कि विवादित के वाहन स्वामी की गलती थी या नहीं, लेकिन हमारी राय में बीमा कंपनी के दायित्व के निर्धारण का आधार भिन्न होता है। जब स्वामी के ऊपर कोई वैधानिक दायित्व लगा दिया गया है, तो हमारी राय में यह मालिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमाकर्ता के दायित्व का विस्तार नहीं कर सकता, हालांकि बीमा पॉलिसी के सन्दर्भ में या अधिनियम के तहत वह उत्तरदायी नहीं होगी।
>
> 17. इसलिए दिए गये प्रकरण में बीमा कंपनी का वैधानिक दायित्व या तो शून्य हो सकता है या अधिनियम की धारा 140 के अंतर्गत निर्दिष्ट से कम।

अधिनियम की धारा 168 के सन्दर्भ में बीमाकर्ता को नोटिस देना होता है ऐसी दशा में यह बताने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बीमा कंपनी को यह अधिकार है कि वह पैरवी करे और यह सिद्ध करे कि वह बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं है।

18. इसके अतिरिक्त इसमें कोई विवाद नहीं है कि परितोष एक से अधिक भी हो सकते हैं, खासतौर से ऐसी दशा में जब अदा की गई राशि को अंतिम परितोष की राशि से समायोजित किया जाना हो। अधिनियम की धारा 168 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए कि संबंधित पक्षकारों को अपनी दलीलें पेश करने व सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किये जाने के बाद अधिनियम की धारा 140 के तहत अधिकार लागू करने के लिए निर्णय भी धारा 168 के तहत पारित किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार, दावा न्यायाधिकरण को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि अधिनियम की धारा 140 में निर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्तों को प्रमाणित किया गया है, जोकि परितोष पारित करने का आधार है।

19. इसके अलावा, जाहिर है, राशि का भुगतान भी करने का निर्देश दिया गया है आवश्यकतानुसार अधिनियम के अध्याय-X के अनुसार निर्देशों का अनुपालन न करने की स्थिति में अधिनियम की धारा 174 के अनुसार वसूली की जानी चाहिए। अधिनियम में ऐसा कोई अन्य प्रावधान नहीं है जो ऐसी स्थिति का ध्यान रखता हो। इसलिए, हमारी राय है कि जब बीमा कंपनी द्वारा अपने दायित्व के संबंध में आपत्तियां की जाती हैं, तब भी अधिकरण को इस मुद्दे पर निर्णय देने की आवश्यकता होती है, जो अंतिम रूप प्राप्त करेगा और इस प्रकार यह अधिनियम की धारा 173 के आशय के अंतर्गत परितोष होगा।"

8. जहां तक ट्रॉलियों में यात्रा करने वाले मजदूरों के संबंध में दायित्व का प्रश्न है, न्यायालय द्वारा इस पर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बृज मोहन व अन्य (2007) 7 स्केल 753 के प्रकरण में विचारण किया गया था और यह माना गया था कि बीमा कंपनी का कोई दायित्व नहीं है। इस न्यायालय के उपरोक्त दो निर्णयों के मद्देनजर हम विवादित आदेश को हर प्रकरण में पृथक करते हैं और मामले को इस न्यायालय द्वारा श्रीमती येल्लाव्वा प्रकरण (पूर्व वर्णित) व बृज मोहन के प्रकरण (पूर्व वर्णित) में कहीं गई बातों के आलोक में नये सिरे से विचारण हेतु प्रेषित किया जाता है।

9. इस प्रकार अपीलों का निस्तारण किया जाता है, पक्षकार अपना-अपना खर्चा वहन करेंगे।

के.के.टी.

अपीलों का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अनुराधा परिहार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।